मसौढ़ी-नौबतपुर के बीच पुनपुन पर बनाया जाएगा नया पुल

बदलता पटना

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

मसौढ़ी और नौबतपुर के बीच पुनपुन नदी पर नया पुल बनेगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी मंजूरी देते हुए पैसा भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के अलग-अलग जिलों में नदियों और नहरों पर सात पुलों के लिए भी सोमवार को विभाग ने पैसा जारी किया। पथ निर्माण मंत्री नन्दकिशोर यादव ने विभाग के इंजीनियरों को इन स्वीकृत पुलों का निर्माण जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि जल्द ही कुछ और नए पुलों को स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन सात उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 67 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी दी गई। इन पुलों की लम्बाई लगभग 250 मीटर होगी। उन्होंने बताया कि पटना जिला में मसौढ़ी से नौबतपुर जाने के रास्ते में पितमास के पास पुनपुन नदी पर लगभग सवा सौ मीटर लम्बे उच्चस्तरीय पुल निर्माण के लिए साढ़े 11 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जहानाबाद जिला में शकुराबाद-कुर्था मार्ग पर बलदइया नदी पर 50 मीटर लम्बे पुल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भोजपुर जिले के गढ़हनी-अगियांव रोड पर भी नहर पर एक नया पुल बनेगा। मुजफ्फरपुर जिला में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी को जोड़ने वाले मीनापुर-बेलसंड पथ पर स्क्रू पाइल पुल की जगह कंक्रीट का नया पुल बनेगा। भभुआ, रोहतास और जमुई जिले में तीन पुलों के निर्माण के लिए 34 करोड़ की मंजूरी दी गई है। भभुआ जिले में मोहनिया-रामगढ़ मार्ग पर पुल बनेगा। इसकी लम्बाई 107 मीटर है।

यातायात

- जहानाबाद जिला में बलदइया नदी पर पुल को भी मिली मंजूरी
- पथ निर्माण मंत्री ने राज्य के सात पुलों के लिए जारी किया पैसा

07 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 67 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी दी गई

250 मीटर होगी इन पुलों की लम्बाई लगभग

प्रकाश केंद्र के लिए पर्यटन को मिलेगी 10 एकड़ जमीन

पटना। गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र एवं उद्यान निर्माण के लिए कृषि बाजार प्रांगण पटना सिटी की 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। निर्माण के लिए आवश्यक जमीन हस्तांतरित करने के लिए कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अध्यादेश 2017 को विधानसभा में पेश किया। सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र और उद्यान बनाने का निर्णय पर्यटन विभाग ने लिया है। निर्माण के लिए पर्यटन विभाग चिह्नित जमीन कृषि विभाग की है। जमीन हस्तांतरित करने के लिए विधानमंडल से विधेयक पारित कराया जाएगा। पहले से पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल से 30 और 31 अगस्त 2017 को मंजूरी मिलने की सूचना सभा सचिव ने सदन को दी। हि.ब्यू.